# न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

**(पीठासीन अधिकारीः— रामचन्द्र, आर0ए0एस0)**

**अपील संख्याः—209/2024/223 आर.टी.एक्ट (2024/209)**

1. श्रीमती कमला पुत्री श्री छोगा पत्नी स्व0 श्री सूरजमल
2. श्रीमती मगनी पुत्री श्री छोगा पत्नी श्री लादूजी (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 सत्तू दत्तक पुत्र स्व0 श्री लादू समस्त जाति गुर्जर, निवासी भटियाणी, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर।
3. श्रीमती छोटी पुत्री श्री छोगा पत्नी श्री नारायण, जाति गुर्जर, निवासी पदमपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
4. श्रीमती गीता पुत्री श्री छोगा पत्नी स्व0 श्री रामदेव
5. श्रीमती जस्सू पुत्री श्री छोगा पत्नी स्व0 श्री हरिराम समस्त जाति गुर्जर, निवासी केरिया की ढाणी, माकडवाली, तहसील व जिला अजमेर।

**अपीलांट्स**

**बनाम**

1. भागू पुत्र श्री छोगा
2. किशन पुत्र श्री छोगा (मृतक) जरिए वारिसानः—
   2/1 शैतान पुत्र श्री किशन
   2/2 सांवरा पुत्र श्री किशन
   समस्त जाति गुर्जर, निवासी माकडवाली तहसील व जिला अजमरे।
   2/3 श्रीमती शारदा पुत्री श्री किशन पत्नी श्री रंगलाल जाति गुर्जर, निवासी लामाना, तहसील पीसांगन, जिला अजमेर।
   2/4 श्रीमती ओमा पुत्री श्री किशन पत्नी श्री जाति गुर्जर, निवासी माखुपुरा, तहसील व जिला अजमेर।
3. वर्ल्ड वाईज मशीनरी सोल्यूशन प्रा0लि0 जरिए डायेक्टर नवनीत माथुर पुत्र श्री रामेश्वर नारायण माथुर जाति कायस्थ, निवासी मकान न0 152/10 स्वरूप नारायण माथुर मार्ग, सिविल लाईन्स, अजमेर तहसील व जिला अजमेर।
4. अजमेर विकास प्राधिकरण, अजमेर जरिए सचिव।
5. उप—पंजीयक, अजमेर।
6. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार, अजमेर।

**रेस्पोडेंट्स**

**अपील अंतर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध निर्णय व डिक्री दिनांक 27.08.2024 सहायक कलेक्टर मु0, अजमेर राजस्व वाद संख्या 57/2023**

**उपस्थितः—**

1. श्री अजीतसिंह राठौड अभिभाषक अपीलांट
2. श्री मनोज आचार्य अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 1, 2/1 से 2/4
3. श्री सुमित जैन अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3
4. श्री हरिसिंह गुर्जर अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 4
5. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 5 व 6

## निर्णय

**दिनांकः—18.08.2025**

1. यह अपील अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।

2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि वादीयागण/अपीलांट्स द्वारा सहायक कलक्टर मु0, अजमेर वाद वास्ते उदघोषणा खातेदारी, बेदखली, बंटवारा एवं स्थाई निषेधाज्ञा के तहत प्रस्तुत किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण दर्ज रजिस्ट किया जाकर उक्त वाद पत्र के नोटिस प्रतिवादीगण को तामील होने पर प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 7 नियम 11 जा0दी0 प्रस्तुत कर कथन किया कि हाल खसरा नम्बर 1700, 1697/4185 बाबत नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10.10.2023 को प्रतिवादी/रेस्पोडेंट संख्या 3 के हक में पट्टा जारी किया जा चुका है तथा हाल खसरा नम्बर 1701 तथा 1702 का भी रूपनांतरण हो चुका है जिससे भूमियां कृषि भूमियां नहीं रहीं है, जिससे उक्त वाद पत्र की सुनवाई का क्षेत्राधिकार निहित नहीं होने से निरस्त करने का कथन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रकरण में उभयपक्षकारान की बहस पन मनन करते हुए रेस्पोडेंट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वाद पत्र को दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश पारित किए गए। अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 से असंतुष्ट होकर अपीलांट ने यह अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है।

3. अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड प्राप्त होने पर प्रकरण में उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस सुनी गई।

4. विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने दौराने अपील बहस में कथन किया कि वादग्रस्त आराजीयात अपीलांट्स की पुश्तैनी आराजीयात है जिसे रेस्पोडेन्ट्स द्वारा किसी भी साक्ष्य से असिद्ध नहीं किया गया जिसमें हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 6 में दिनांक 9.9.2005 को हुए संशोधन के अनुसार अपीलांट्स का जन्म से ही हिस्सा निहित हो चुका था, यदि राजस्व ऐजेन्सी द्वारा अपने पिता छोगा पुत्र श्री सरदारा की विरासत में अपीलांट्स का नाम दर्ज नहीं किया गया है तो भी जन्म से निहित हिस्सा नष्ट नहीं हो सकता एवं अपीलांट्स द्वारा आज दिनांक भूमि को रहन, बेचान, मुंतकिल नहीं किया गया है जिससे आज भी अपीलांट्स प्रत्येक का खसरा नम्बर 3302 में 1/7–1/7 (माता श्रीमती सुवादेवी का 1/8 हिस्सा शेष 7 वारिसान में निहित होने से) तथा शेष आराजीयात में 1/8–1/8 हिस्सा निहित है। इस महत्वपूर्ण कानूनी बिन्दु को नजर अन्दाज कर विद्वान परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त यथा 2020 डी. एन.जे. पार्ट तृतीय पृष्ठ 817 (एस.सी.) (एल.बी.) को नजर अन्दाज कर, संशोधन दिनांक 9.9.2005 को नजर अन्दाज कर आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है। प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 3 द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में यह कहीं भी अंकित नहीं किया गया कि वादीयागण को वाद कारण उत्पन्न नहीं हुआ जो उसकी स्वयं स्वीकृति है। मात्र भूमि का रूपान्तरण होने तथा पट्टे जारी होने के कारण सुनवाई का क्षेत्राधिकार नहीं होना अंकित किया गया जबकि अपीलांट्स द्वारा न तो भूमि समर्पण की गयी ना ही रहन, बेचान, मुंतकिल की गई चूंकि विवादित भूमि में अपीलांट्स का जन्म से ही हिस्सा निहित हो चुका था जिससे नगर सुधार न्यास को हस्तान्तरण एवं बेचान तथा पट्टे इत्यादी समस्त दस्तावेजात अपीलांट्स के हक, अधिकार एवं स्वत्वों पर कतई बातिल एवं बेअसर हैं जिस हेतु माननीय राजस्थान उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त 2022 आर.बी.जे. पृष्ठ 592 प्रस्तुत किया गया था जिसे निर्णय में कोई स्थान दिये बिना आदेश अन्तर्गत अपील पारित कर दिया

गया है। परीक्षण न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र में खसरा नम्बर 3302 में वर्तमान अधिकार अभिलेख के अनुसार अपीलांट्स के नाम 1/21–1/21 हिस्सा गलत अंकित किया गया है जिसे दुरूस्त किया जाकर वास्तविक रूप से निहित 1/7–1/7 हिस्सा दुरूस्ती हेतु निवेदन किया गया था जो आज भी अपीलांट्स के नाम दर्ज है जिस बाबत् प्रतिवादीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र में कोई उज नहीं लिया गया. इसके बावजूद उक्त खसरा नम्बर का वाद पत्र भी निरस्त फरमा दिया गया जबकि स्वयं प्रतिवादीगण/रेस्पोडेन्ट्स द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के अनुसार उक्त खसरा नम्बर की सुनवाई का क्षेत्राधिकार अधीनस्थ न्यायालय में निहित था। इस प्रकार रेस्पोडेन्ट्स की स्वयं स्वीकृति के विपरीत जाकर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा आदेश अन्तर्गत अपील पारित किया गया है। राजस्व ऐजेन्सी द्वारा खसरा नम्बर 3302 में श्री छोगा की विरासत में अपीलांट्स का नाम दर्ज किया गया जिससे राजस्व ऐजेन्सी की स्वयं स्वीकृति है कि अपीलांट्स श्री छोगा जी पुत्रीयां हैं लेकिन शेष आराजीयात में रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 के नाम विरासत तस्दीक कर अमल दरामद कर दिया गया एवं अपीलांट्स को छोड दिया गया जो विरासत एवं अमल दरामद की प्रविष्टियां कतई अवैधानिक एवं शुन्य प्रविष्टियां हैं जिनके आधार पर रेस्पोडेन्ट संख्या 1 लगायत 2 में अपीलांट्स के हिस्से की भूमि के स्वत्व कतई रूप से निहित नहीं हुए हैं जिससे उनके द्वारा किये गए विक्रय, हस्तान्तरण, रूपान्तरण तथा पट्टे इत्यादी अपीलांट्स के हक, अधिकार एवं स्वत्वों पर बातिल एवं बेअसर हैं क्योंकि शुन्य प्रविष्टियों की आड में हुए हस्तान्तरण, रूपान्तरण इत्यादी भी अवैधानिक होकर हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत वाद पत्र सुनवाई का विशिष्ट क्षेत्राधिकार विद्वान अधीनस्थ न्यायालय में निहित था एवं प्रस्तुत वाद पत्र में आदेश 7 नियम 11 जा.दी. के प्रावधान कतई लागू नहीं होते हैं क्योंकि हिन्दु उत्तराधिकार अधिनियम केन्द्रीय अधिनियम है जिस पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम जो स्टेट लॉ के प्रावधान ओवर राईट नहीं हो सकते। अतः न्यायालय से अनुरोध है कि अपील अपीलांट स्वीकार फरमाए व अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किए जाने के आदेश न्यायहित में प्रदान करावें। अभिभाषक अपीलांट ने अपने समर्थन में न्यायिक दृष्टांत आर0आर0टी0 2020(11) एस0सी0 पृष्ठ 998 एल0बी0, एआईआर 2008 एससी पृष्ठ 2025, आरबीजे 2022 पृष्ठ 113, आरबीजे 2000 पृष्ठ 69, आरबीजे 2022 पृष्ठ 592 एच0सी0 प्रस्तुत किए है।

5. विद्वान अभिभाषक रेस्पोडेंट श्री मनोज आचार्य ने दौराने बहस अपील में कथन किया कि वादपत्र में निहित आराजी में से वादी ने खसरा नम्बर 3302, 1700, 1697/4185 के संबंध में अनुतोष चाहा है। पूर्व आराजी खसरा नम्बर 3003 व 3004 जिसके हाल खसरा नम्बर 1700, 1647/4185 का भूमि रूपांतरण उक्त वाद प्रस्तुत करने से 10–12 वर्ष पूर्व हो चुका था और आराजी का पट्टा नगर सुधार न्यास द्वारा दिनांक 10.10.2023 को प्रतिवादी संख्या 3 को निष्पादित किया जा चुका था अतः उपरोक्त भूमि कृषि भूमि न होकर अकृषि (वाणिज्यिक) भूमि हो चुकी है, जिसका क्षेत्राधिकार न्यायालय को नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 1701, 1702 जिसका वर्तमान खसरा नम्बर 3002 का भी भूमि रूपांतरण वाद प्रस्तुत करने से पूर्व ही हो चुका है। काश्तकार अधिनियम के तहत मात्र वह भूमि जो कृषि प्रयोजन के तहत कार्य आती हो, उसी की सुनवाई का क्षेत्राधिकार न्यायालय को है। उपरोक्त आधार पर प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आदेश 7 नियम 11 को स्वीकार किया गया है तथा वाद

को विधि अनुसार ही खारिज किया गया है। अतः अपील अपीलांट खारिज की जावें।

6. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 03 ने दौराने जवाब/बहस निवेदन किया कि वादग्रस्त आराजीयात वर्किंग खसरा संख्या 3003 रकबा 02–11–00 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 1700 रकबा 0.34 हैक्टर एवं 1697/1485 रकबा 0.07 हैक्टर बने है बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के मध्य आपसी राजीनामे से उक्त खसरा नम्बर बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से उक्त खसरा नम्बर को अपील से तर्क (डिलीट) करवा लिया गया है। अपीलांट एवं रेस्पोडेन्ट संख्या 3 के बीच अब विवाद नहीं है अतः उक्त खसरा नम्बर बाबत किसी प्रकार का निर्णय पारित किया जाना शेष नहीं है।

7. हमनें उभयपक्ष अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों का अवलोकन किया। बाद अवलोकन हमने पाया कि अपीलांट द्वारा आराजी खसरा संख्या 3302, 1701, 1702, 1700, 1697/4185, 1863 बाबत राजस्व वाद अन्तर्गत धारा 88, 183, 53 एवं 188 के तहत अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा वादग्रस्त आराजीयात खसरा संख्या 1700, 1697, 1701, 1702 का कृषि से अकृषि भूमि के उपयोग में भू–रूपांतरण होना मानते हुए वादग्रस्त भूमि का स्वरूप कृषि भूमि नहीं होना मानते हुए सम्पूर्ण वाद को क्षेत्राधिकार के अभाव में आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी के तहत खारिज कर दिया गया, जिसके विरूद्ध अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा के समक्ष अपील प्रस्तुत की गई है।

वर्किंग खसरा संख्या 3003 रकबा 02–11–00 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 1700 रकबा 0.34 हैक्टर एवं 1697/4185 रकबा 0.07 हैक्टर बने है बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के मध्य आपसी राजीनामे से उक्त खसरा नम्बर बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से उक्त खसरा नम्बर को अपील से तर्क (डिलीट) करवा लिया गया है अतः अपील का निस्तारण शेष खसरा नम्बरान 3302, 1701, 1702, 1863 बाबत किया जा रहा है।

अभिभाषक उभयपक्षगण की बहस पर मनन किया तथा अपील एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अधोपांत अवलोकन किया। जिससे प्रकट होता है कि वादग्रस्त आरायजीयात का मूल खातेदार वर्किंग जमाबंदी के अनुसार छोगा पुत्र सरदार था जिसका सजरा अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न है जिसके पत्नि, दो पुत्र तथा पांच पुत्रिया विधिक वारिसान है जिससे उक्त आराजीयात में छोगा पुत्र सरदारा की मृत्यु होने पर हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम की धारा 8 के अनुसार उक्त सभी वारिसानों में मृतक छोगा की सम्पत्ति परिवार/सहदायिकों की संख्या के अनुसार 1/8–1/8 हिस्से अनुसार प्रत्येक वारिस में स्वतः निहित हुई लेकिन राजस्व ऐजेन्सी द्वारा श्री छोगा की विरासत अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली पर उपलब्ध जमाबंदी संवत 2041 के अनुसार नामान्तकरण संख्या 557 दिनांक 14.05.2004 के अनुसार पत्नि एवं दोनो पुत्रों के नाम अंकित कर दी गई, जो प्रथम दृष्टया अवैधानिक एवं शून्य प्रतीत होता है क्योंकि छोगा की मृत्यु होते ही वादग्रस्त भूमि के स्वत्व तत्समय जीवित आठों वारिसानों में बहिस्सा बराबर निहित हो चुके थे, त्रुटिपूर्ण विरासत के आधार पर पुत्रियों के काश्तकारी स्वत्व नष्ट होना नहीं माना जा सकता है। उक्त त्रुटिपूर्ण विरासतीय नामांतकरण के आधार पर यदि कोई हस्तांतरण हुए है तो वो भी विधि के अनुकूल नहीं माने जा सकते है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली

के पृष्ठ संख्या 18 के अनुसार खाता संख्या नये एवं पुराने 1421 के खसरा नम्बर 3302 में अपीलांटस/वादीयागण के नाम ही छोगा की विरासत में दर्ज हुए है जिससे अपीलांटस छोगा की पुत्रियां होना स्वयं सिद्ध है लेकिन शेष खसरा नम्बरान में पुत्रियों का नाम छोगा की विरासत में दर्ज नहीं किया गया इस बाबत कोई विश्वसनीय एवं प्रमाणिक साक्ष्य रेस्पोडेन्टस की ओर से प्रस्तुत नहीं किये गये है जिससे छोगा की विरासत खसरा नम्बर 3302 के अतिरिक्त शेष वादग्रस्त खसरा नम्बरान में अवैधानिक रूप से दर्ज किया जाना रिकार्ड से स्पष्ट सिद्ध होता है।

इसके अतिरिक्त खसरा नम्बर 3302 में भागू पुत्र छोगा तथा किशना पुत्र छोगा के नाम 8/21–8/21 हिस्से दर्ज कर रखे है एवं पुत्रियों के नाम प्रत्येक के 1/21–1/21 हिस्से दर्ज कर रखे है जबकि हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम के अनुसार पुत्र एवं पुत्रियों को पिता की विरासत में बराबर हिस्सा प्राप्त होता है जिससे उक्त हिस्से भी त्रुटिपूर्ण रूप से दर्ज किया जाना प्रमाणित होता है। इसी कारण वादीयागण द्वारा वादपत्र में उक्त हिस्सों की दुरूस्ती बाबत निवेदन किया गया है।

अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी प्रतिवादी/रेस्पोडेन्ट संख्या 03 द्वारा प्रस्तुत किया गया है जिसका संबंध हाल खसरा नम्बर 1700, एवं 1697/4185 से है जो न्यायालय हाजा के समक्ष उभयपक्षकारान के मध्य आपसी राजीनामा होने से उक्त दोनों खसरा नम्बर अपील से तर्क किये जा चुके है, जिससे विधि अनुसार प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 7 नियम 11 सपठित धारा 151 सीपीसी स्वतः ही प्रभाव शून्य हो चुका है फिर भी उक्त प्रार्थना पत्र में विशिष्ठ रूप से वाद कारण उत्पन्न नहीं होना तथा वाद पत्र विधि द्वारा वर्जित होने बाबत कोई सम्पूष्ठ साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया गया है। चूंकि वादीयागण/अपीलांटस रिकार्डेड खातेदार छोगा की जाईंदा पुत्रियां होना रिकार्ड से सिद्ध है जिनकों छोगा की मृत्यु के साथ ही विवादित भूमि में विरासत के आधार पर बराबर हिस्से अनुसार स्वत्व प्राप्त हो चुके है, यदि त्रुटिपूर्ण प्रविष्टियों के आधार पर भूमि के हस्तांतरण हुए है एवं उक्त हस्तांतरण में यदि पुत्रियां शामिल नहीं है तो वे हस्तान्तरण पुत्रियों के हिस्से तक सिद्धरूप से बातिल एवं बेअसर होकर अवैधानिक हस्तांतरण की श्रेणी में आते है ऐसे हस्तांतरणों से पुत्रियों के स्वत्व नष्ट नहीं होते है। अभिभाषक अपीलांट द्वारा उक्त तथ्यों के समर्थन में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्त आर0आर0टी0 2020 (2) पृष्ठ 998 वृहद पीठ प्रस्तुत किया है जिसके अुनसार **सह–दायिकी सम्पत्ति में हित का न्यागयत होना–पुत्री के अधिकार 09.09.2005 को किया गया संशोधन क्या विगत प्रभावी है या नही– दो विरोधाभासी निर्णय– रेफरेन्स चाहें संशोधन के पूर्व जन्मी हो या बाद में, पुत्र के समान पुत्री भी सम्पत्ति में सहदायी है– पुत्र के समान पुत्री भी समान अधिकार व दायित्व रखती है– पूर्व में जन्मी पुत्री 20.12.2004 के पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयत निस्तारित सम्पत्ति में अधिकार का दावा कर सकती है–09.09.2005 को पिता का जीवित होना आवश्यक नहीं है क्योंकि सह दायिकी सम्पत्ति में अधिकार जन्म से है–विभाजन की प्रारम्भिक डिक्री पारित होने के बाद भी पुत्र के समान पुत्रियां भी सह दायी होने से समान हिस्से हेतु हकदार है।**

इससे स्पष्ट सिद्ध है कि पुत्रियां पिता की विरासत में बराबर हिस्सा प्राप्त करेगी चाहे पुत्रियों के अतिरिक्त शेष सहदायिकों द्वारा सम्पत्ति को पूर्व निस्तारित अथवा अन्य संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित कर दी गई हो, उक्त हस्तांतरण पुत्रियों के हिस्से पर सर्वथा निष्क्रिय रहते है।

इसके अतिरिक्त 2022 आर0बी0जे0 पृष्ठ 113 (डी.बी.), 592 (एच0सी0) के दृष्टांत प्रस्तुत किये गये जिसके अनुसार विवादित आराजीयात प्राधिकरण इत्यादि को हस्तातंरण करने पर भी विधिक रूप से निहित खातेदार के अधिकार यथावत रहते है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा सम्पूर्ण राजस्व वाद को बिना परीक्षण कर प्रस्तुत प्रकरण में आदेश 7 नियम 11 के प्रावधान लागू नहीं होने के बावजूद वाद पत्र विधि विपरित निरस्त किया जाना सिद्ध होता है क्योंकि वादग्रस्त भूमि में माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत के अुनसार पुत्रियों के स्वत्व जन्म से ही पिता की सम्पत्ति में निहित हो चुके है एवं उनके द्वारा कोई हस्तांतरण नहीं किया गया है जिससे भूमि में उनके स्वत्व आज भी निहित है। वादग्रस्त आरजीयात में से कुछ भूमि को रूपांतरण होने से सम्पूर्ण वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के तहत खारिज नहीं किया जा सकता था क्योंकि माननीय सर्वोच्च न्यायालय एवं माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धान्तों के अुनसार यदि भूमि निस्तारित, संक्रमित अथवा विभाजित या वसीयती निस्तारित/हस्तातंरित भी हो चुकी है तब भी पुत्रियों के स्वत्व वादग्रस्त आराजीयात में निहित है।

इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलक्टर मु0 अजमेर द्वारा राजस्व वाद को आदेश 7 नियम 11 सीपीसी के प्रावधानों के विपरित जाकर खारिज किया है जो विधि सम्मत नहीं है। अतः अपील अपीलांटस आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय को न्यायिक निर्णय गुणावगुण पर किये जाने हेतु प्रतिप्रेषित किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट्स आंशिक स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय सहायक कलेक्टर मु0 अजमेर द्वारा प्रकरण संख्या 57/2023 में पारित निर्णय दिनांक 27.08.2024 को निरस्त किया जाता है वर्किंग खसरा संख्या 3003 रकबा 02–11–00 बिस्वा जिसके हाल खसरा संख्या 1700 रकबा 0.34 हैक्टर एवं 1697/4185 रकबा 0.07 हैक्टर बने है बाबत अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या 03 के मध्य आपसी राजीनामे से उक्त खसरा नम्बर बाबत किसी प्रकार का विवाद नहीं होने से उक्त खसरा नम्बर को अपील से तर्क (डिलीट) करवा लिया गया है अतः अपील का निस्तारण शेष खसरा नम्बरान 3302, 1701, 1702, 1863 बाबत किया जा रहा है। अतः पत्रावली अधीनस्थ न्यायालय को इन निर्देशों के साथ प्रतिप्रेषित की जाती है कि वे प्रतिवादीगण से जवाब दावा लेकर दावे एवं जवाबदावे के आधार पर तनकीयां निर्मित करें एवं उक्त तनकीयों पर साक्ष्य लेकर प्रत्येक तनकी का विस्तृत विवेचन करते हुए शेष खसरा नम्बरान 3302, 1701, 1702, 1863 बाबत पुनः गुणावगुण पर निर्णय पारित करे। उभयपक्षकारान को अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष दिनांक 03.09.2025 को उपस्थित होने हेतु पांबद किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हों।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**

9. निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

**(रामचन्द्र)**
**राजस्व अपील प्राधिकारी,**
**अजमेर**